पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 28, अंक, 112, जनवरी–मार्च, 2023 पृ. 17–27

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

छत्तीसगढ़ के छुईखदान रियासत में राष्ट्रीय एवं सामाजिक जागरूकता

दीपक वर्मा
सहा. प्राध्यापक–इतिहास, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, धुमका (छ.ग.)
E-mail ID : deepakverma9@gmail.com   Mob. No. 9179571281

सारांश

छत्तीसगढ़ का छुईखदान रियासत भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय जागरूकता के केन्द्र होने के साथ–साथ यह सामाजिक, सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण था। इस रियासत में सभी वर्गों के लिए शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे। शिक्षित वर्ग और शासक वर्ग अपनी साहित्यिक व आध्यात्मिक अभिरुचियों से लिए समर्पित थे। इस रियासत में स्वाधीनता आंदोलन अवधि में रियासती प्रजा द्वारा दोहरे दबाव के बावजूद सभी गतिविधियों में सत्याग्रह पूर्ण भागीदारी दिए। यहां हुई स्वदेशी खादी प्रचार कार्य, शराबबंदी आंदोलन, अछूतोध्दार कार्य, लगान बंदी आंदोलन, जंगल सत्याग्रह और किसान आंदोलन इन आंदोलनों में सम्मिलित होने के लिए नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ जागरूकता, समर्पण, सात्विकता और दृढ़तापूर्वक अहिंसा और सत्याग्रह का पालन भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। इन गतिविधियों का नेतृत्व ना केवल समाज के उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया गया अपितु निम्न वर्ग के लोग भी नेतृत्व किए, साथ–साथ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सत्याग्रहियों में किसान, मजदूर, स्त्रियों की निर्भीकतापूर्वक भागीदारी इनके आत्मबल और जन चेतना को रेखांकित करती है।

मूल शब्द – छत्तीसगढ़, छुईखदान रियासत, सामाजिक जागरूकता, शराबबंदी, अछूतोध्दार, खादी प्रचार, नैतिक मूल्य, जंगल सत्याग्रह, लगान बंदी, सत्याग्रह, राष्ट्रीय जागरूकता ।

शोध प्रविधि– अभिलेखागारीय, समाजशास्त्रीय एवं विश्लेषणात्मक प्रविधि।

मानव विकास का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित जानकारी प्राप्त करने के लिए अतीत का गहन अवलोकन एक श्रेष्ठ माध्यम है। इसके माध्यम से हम मानव समुदाय के सामाजिक,

राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा का विस्तार से क्रमानुसार अध्ययन कर विभिन्न युगों की अलग–अलग विशिष्टताओं का जानकारी प्राप्त करते है। साथ–साथ मानव समाज के अलग–अलग कालखण्ड में व्यवस्थाओं, इन व्यवस्थाओं में होने वाली परिवर्तनों व इन परिवर्तनों के उत्तरदायी कारकों का सूक्ष्मता से जांच करते है। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास व समाज में छत्तीसगढ़ के इतिहास व समाज की अपनी विशिष्ट पहचान रही है। छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर, कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी जैसे अनगिनत गुफाओं से प्राप्त असंख्य चित्रकारी तथा पत्थर के औजार जैसे पुरातात्विक प्रमाण मानव सभ्यता व संस्कृति के उद्भव के प्रागैतिहासिक स्त्रोतों के रूप में चिन्हाकिंत किए जा सकते है। छत्तीसगढ़ में कलचुरियो के सन् 1000 ई. से सन् 1741 ई. तक दीर्घकालिक शासन के बाद मराठा शासन सन् 1758 ई. से 1853 ई. तक रही। इसके बाद छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के दायरे में आ आया। ब्रिटिश शासन ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी एवं मराठा भाासनकाल से प्रारंभ जमींदारी व्यवस्था को नया रूप प्रदान कर बड़े व समृद्ध जमींदारी को देशी रियासत का दर्जा प्रदान किया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में कुल चौदह रियासतें अस्तित्व में थी। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सरगुजा, कोरिया, उदयपुर, चांग–भखार एवं जशपुर रियासत थी, दक्षिणी भाग में बस्तर व कांकेर, पूर्व में सक्ती, रायगढ़ एवं सारंगढ़ तथा राज्य के पश्चिमी भाग में कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव और खुईखदान रियासतें थी। इन रियासतों में रियासत के शासक ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्वीकार करते हुए शासन करते थे। स्वाधीनता आंदोलन अवधि में भारत भर के अलग अलग ब्रिटिश प्रांतों व विभिन्न रियासतों के समानांतर छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों में भी स्वाधीनता के लिए समाज में जन चेतना व राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां संपन्न हुई जो ना केवल स्थानीय महत्व की थी अपितु राष्ट्रीय महत्व का था। छत्तीसगढ़ इतिहास के हर दौर में अपनी सामाजिक मूल्यों व मानवीय मूल्यों के साथ एक प्रकाश स्तंभ की तरह रहा है जिसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की छुईखदान रियासत में विद्यमान सामाजिक जागरूकता है इनके अलावा यहां राष्ट्रीय भावनापूर्ण गतिविधियां आज भी प्रासंगिक है एवं समाज के लिए समरसता पूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है।

छत्तीसगढ़ में छुईखदान रियासत 210^0 30′ उत्तरी अक्षांश से 210^0 38′ उत्तरी अक्षांश तक और 80^0 53′ पूर्वी देशांतर से 81^0 11′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित थी। इसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मील था।[1] इसका नाम छुईखदान, छुई (छुही) अर्थात् एक प्रकार की सफेद मिट्टी जो मिट्टी की दीवाल को पुताई करने के लिए प्रयुक्त होती थी और खदान से मिलकर बना है।[2] यह एक छोटी रियासत थी जो चार पृथक खंडो छुईखदान, बोरतरा, बिदोतरा और सिमई को मिलाकर बनी है। रियासत का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है, माना जाता है कि रियासत का केंद्र बिंदु कोन्डका क्षेत्र था, इसे महंत रूपदास ने परपोड़ी के जमींदार से लगभग अठारहवीं शताब्दी के मध्य स्वयं द्वारा दिए ऋण के एवज में प्राप्त किये थे। इसके बाद तुलसीदास ने शासन किया जिसे मराठा शासन ने जमींदार के रूप में मान्यता प्रदान किया। इसके बाद लक्ष्मणदास उत्तराधिकारी हुए, इसके बाद श्याम किशोर दास गद्दी पर आसीन हुए, फिर इनका पुत्र राधा वल्लभ किशोर दास उत्तराधिकारी हुए। इनके बाद दिग्विजय किशोर दास शासक रहे। दिग्विजय दास के बाद महंत भूधर किशोर दास उत्तराधिकारी हुए। इसके बाद महंत ऋतुपर्ण

किशोर दास शासक बने। इस रियासत की 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, शेष नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी करते थे।

छुईखदान रियासत में वैष्णव मतानुयायी बैरागी राजाओं का शासन था यहां के शासकों द्वारा रोजगार, शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में प्राथमिकता पूर्ण कार्य किया गया जिससे इस रियासत के नागरिकों में पर्याप्त जागरूकता थी। यद्यपि इस रियासत का आकार एवं स्वरूप छोटा था किंतु यहां के राजाओं का बैरागी होने के कारण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अलग महत्व था। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता के फलस्वरूप यहां प्रजा में परस्पर सहयोग एवं सहभागिता की संचेतना से यह रियासत स्वाधीनता आंदोलन में भी पुरी तन्मयता से संलग्न थी। छुईखदान रियासत के लोकजीवन में सहजता, स्वाभाविकता और आडंबरहीनता के तत्व प्रचुर मात्रा में थी। इस स्टेट में गोड़ जनजाति जो कुल आबादी का 17 प्रतिशत थी, फिर 10 प्रतिशत जनसंख्या लोधी जाति की थी जो बहुत अच्छे कृषक होते है, सतनामी, तेली, पनका (बुनकर), मरार, अहीर (चरवाहे), लुहार, धोबी, नाई, ढीमर, महरा (मराठी बुनकर), कलार, ब्राम्हण, राजपूत, बैरागी, कुरमी, सोनार, कायस्थ और बनिया प्रमुख जातियां थी। इनके अलावा मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन धर्म और कबीर पंथी अनुयायी भी यहां निवास करती थी। इस रियासत में लगभग सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता था और धार्मिक या सामाजिक संघर्ष या टकराव का कोई उदाहरण इस रियासत में नहीं मिलता है। छुईखदान रियासत की संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी थी, इस भाषा उत्पति अर्ध मागधी से हुई थी। इसके अलावा यहां की प्रमुख जनजाति द्वारा गोड़ी भाषा बोली जाती थी।

शिक्षा मानव सभ्यता के विकास का सर्वप्रमुख साधन है। छुईखदान रियासत के शासक शिक्षा प्रेमी थे, इन्होने समय अनुसार शिक्षा के प्रचार–प्रसार में अपना भरपूर सहयोग और योगदान प्रदान किया था। महंत राजा लक्ष्मण दास जो स्वयं काफी विद्वान व्यक्ति थे, इनके शासन अवधि में इस रियासत में प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखी गई थी जो परवर्ती शासको के शासन अवधि में धीरे धीरे–धीरे विकसित होती चली गई। छुईखदान में 1901 में शिक्षा का प्रतिशत 6.9 प्रतिशत थी।[3] सन् 1905 ई. में इस रियासत से 5 रूपये की छात्रवृत्ति युवाओं को कृषि कक्षाओं में प्रशिक्षण में प्रोत्साहन हेतु दी जाती थी, जिसकी प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में थी। महंत भूधर किशोर दास ने इस रियासत में स्त्री शिक्षा बढ़ाने की ओर बहुत ध्यान दिये थे। इनके शासनकाल में ही इस रियासत में पुत्री शाला प्रारंभ किया गया था। रियासत में शिक्षा विभाग के स्कूलों के निरीक्षण के लिए अलग से विभाग निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी। इस रियासत के अधिकतर शासक अपनी विशेष अभिरुचियों के लिए जाने जाते थे भक्ति संगीत, शिक्षा और साहित्य के प्रति शासको की अभिरूचि इस रियासत को विशिष्टता प्रदान करती थी। इस रियासत के प्रथम शासक महंत रूपदास शिक्षित, वीर, राजकाज के अनुभवी तथा धर्म निष्ठ व्यक्ति थे, वे अवकाश के समय ईश्वर की आराधना और अध्यात्मिक चिंतन में लीन रहते हुए उस समय के मिश्रित भाषा साहित्य में भजन तथा कविता की रचना किया करते थे। सन् 1867 में अंग्रेजी शासन ने महंत लक्ष्मणदास को इकरारनामा के अनुसार 'फ्युडेटरी चीफ' के अधिकार प्रदान किये थे, इन्हें अनेक अधिकार तो मिले किंतु इकरारनामा के अनुसार अंग्रेजों ने राजाओं के अनेक वंशानुगत अधिकारों को छीन लिया।[4]

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दासता से मुक्ति के लिए असंतोष के स्वर छुईखदान रियासत से भी मुखरित हुए थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में छुईखदान रियासत की प्रजा ने शेष भारत के प्रजा की तरह स्वाधीनता समर में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ठाकुर प्यारेलाल जिन्होने रायपुर एवं राजनांदगांव में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई, इनके प्रयासों से छुईखदान में भी स्वतंत्रता की चेतना प्रबल हुई। छुईखदान में स्वाधीनता की चेतना सन् 1919 ई. के लगभग बलवती हुई। यहां सन् 1919 ई. में राजा महंत भूधर किशोर दास के वैचारिक विरोधी महंत रामदास के द्वारा 'सेवा दल 'नामक गठित की गई । इसी वर्ष उन्होंने एक 'बालचर दल' भी गठित किए। सेवादल के माध्यम से स्वदेशी का प्रचार और सेवा कार्य होता था। स्वतंत्रता सेनानी गोवर्धन वर्मा उस समय विद्यार्थी थे। वे बालचर दल के सदस्य बन गये और उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही खादी पहनना शुरू कर दिया था।

जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रतिकार में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध प्रथम अहिंसक आंदोलन चलाने का निश्चय 1920 में किये। इस संबंध में दिसंबर सन् 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुई। कांग्रेस के इस नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे, ई. राघवेन्द्र राव, पं. रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारे लाल सिंह और ठाकुर छेदीलाल सिंह के साथ छुईखदान रियासत से भी लोग अधिवेशन में सम्मिलित हुए, जिससे यहां भी जन चेतना की लहर आयी। रियासती जनता में जन जागरण लाने के लिए' सेवा समाज' नामक संस्था की भी स्थापना की गई, इस संस्था के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया गया। जीवों की रक्षा, लोगों को सहायता पहुंचाना, धार्मिक कार्य, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार कार्य किया गया। तात्कालिक शासक ने इन संस्थाओं का चेतावनी दी, फिर भी ये संस्थाएं काम करते रहे। गांधीजी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के समय इस रियासत में कोई विशेष आंदोलन तो नहीं हो पाया लेकिन घरों के दीवारों पर ब्रिटिश विरोधी नारे लिखे गए।

अप्रैल 1920 में राजनांदगांव में मजदूरों की 36 दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल और 20–21 दिसंबर 1920 को महात्मा गाँधी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन ने छत्तीसगढ़ रियासत के लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए और अधिक प्रेरित किया। सन् 1921 में छुईखदान में 'गौ सेवा संघ' की स्थापना की गई। सन् 1929 ई. में लाहोर में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित होने पर इस क्षेत्र में भी आजादी का जोश समाज के सभी वर्गों में उमड़ गया। इस प्रकार यहां 1930 तक असंगठित रूप से विभिन्न गतिविधियां चलती रही।

खादी प्रचार समिति –

सन् 1930–31 में गांधी जी ब्रिटिश हुकुमत के कानूनों के तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो इस आंदोलन की लहर से जागृत छुईखदान में भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रम में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब बंदी के लिए धरना–प्रदर्शन, पिकेटिंग के लिए आंदोलन चलाया गया । सन् 1930 में छुईखदान रियासत में एक खादी भंडार खोला गया, खादी का प्रचार हेतु 'खादी प्रचार समिति' का गठन किया गया। गोवर्धन राम वर्मा का इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका था । खादी के अधिक से अधिक उपयोग के माध्यम से

स्वदेशी के प्रति जागरूक करने और मितव्ययिता पूर्ण सात्विक जीवन निर्वाह हेतु प्रेरित करने का सुविचारित प्रयास किया गया। खादी प्रचार समिति के सदस्यों को निम्न उद्देश्य के साथ कार्य संचालन करना आवश्यक होता था –

1 .इस समिति का पहला पहला ध्येय खादी पहनने के लिए अपने परिवार व अपने परिचितों को इसके प्रयोग के महत्व को समझाने हेतु कार्य करना।

2. कुछ सदस्य हर एक सामाजिक कार्य में सम्मिलित होकर मादक पदार्थों के सेवन का सामाजिक बहिष्कार कराने का प्रयास करें।

3. विदेशी वस्त्र बिक्री करने वालों को विदेशी वस्त्र बिक्री न करने और खरीददारों को विदेशी वस्त्र न खरीदने का महत्व बताकर सविनय अवज्ञा हेतु प्रेरित करना।

4. जब समिति के इन कार्यों से परिवर्तन परिलक्षित ना हो तो तब अवज्ञा के लिए पिकेटिंग की आवश्यकता होगी।

5. यह समिति सामाजिक अछुतोध्दार का भी पक्षपाती है जब कोई अछूत भाई स्वदेशी वस्त्र सर्वांग धारण करे और अपने तथा अपने परिवार के लोगों में मादव पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दे तब यह समिति उन्हें समिति में उचित स्थान देकर अपने स्तर पर सम्मान प्रदान करें ।[5]

शराब बंदी

महात्मा गाँधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए इस रियासत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में और उसके बाद भी शराब बंदी प्रयास लगातार जारी रहा, शराब बंदी स्वयं सेवक हस्ताक्षर युक्त प्रतिज्ञा पत्र भरता था और उसमें दिये गये शर्तों का पुरी तरह पालन करने के लिए एक हस्ताक्षर युक्त प्रतिज्ञा पत्र भरकर कांग्रेस कमेटी के पास भेजता था। इस पत्र में निम्न चार शर्तों का उल्लेख रहता था –

1. मैं शराब बंदी के लिए स्वयं सेवक का कार्य करूंगा और इस काम में जो कुछ भी तकलीफ होगी शांतिपूर्ण सहन कर लुंगा ।

2.यदि इस काम को करने में मुझे जेल भी जाना पड़े तो जाउंगा और अपने परिवार के लिए कांग्रेस कोश से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की आशा नहीं रखूंगा।

3. मैं अहिंसा व्रत का पूरी तरह पालन करूंगा।

4. मैं इस आंदोलन के उन नेताओं का आज्ञा जिन पर संचालन की जिम्मेदारी होगी बिना किसी प्रश्न या बहस के तत्काल मानूंगा।[6]

इन खादी प्रचार, शराब बंदी और विदेशी कपड़ो की होली जलाने तथा आंदोलनकारियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप में राजद्रोह की दफा 124 (अ) के तहत बुधराम पोद्दार को साथियों सहित गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार आंदोलनकारियों को छुईखदान जेल में बंदी बनाकर रखा गया, जहाँ उन्हें अनेक यातनाएं दी गयी, कुछ को जमानत दी गई पर गोवर्धन राम वर्मा, नंदलाल पोद्दार, सियाराम वर्मा एवं झुमुक राम महोबिया को जमानत पर भी

रिहा नहीं किया गया। अंततः ठाकुर प्यारेलाल के प्रयास के बाद इन्हे जमानत प्राप्त हो पाई। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया और छुईखदान रियासती क्षेत्र में जन जागरण का नया दौर प्रारंभ हुआ। सन् 1933 में छुईखदान में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई जहां नवयुवक व समाज के जागरूक लोग प्रतिदिन इकट्ठा होते थे और आगामी आंदोलन के लिए रणनीति तय करते थे। स्वदेशी वस्त्रों के प्रचार प्रसार के इसी दौर में आंदोलनकारियों ने चरखा चलाकर सूत कातने का कार्य भी शुरू कर दिया। जेल से छुटने के बाद गोवर्धन राम वर्मा एवं उनके साथियों ने छुईखदान रियासत में रिश्वतखोरी और अन्याय के विरुद्ध जन मानस तैयार करने का प्रयास प्रारंभ कर दिये। यहां के जागरूक जनता रियासती शासको के गलत कार्यों का शिकायत अंग्रेज पालिटिकल एजेंट को भेजते थे। ये पालिटिकल एजेंट ही रियासती मामलो का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। गोवर्धन राम वर्मा के ने छुईखदान में 'हिन्दुस्तानी लाल सेना' नामक संगठन की स्थापना की। इसके प्रमुख सदस्य के रूप में जागरूक लोग तत्परता से जुड़ गये इनमें प्रमुख थे झाडूराम, भुलउ राम, रामगुलाल, एवं सियाराम पोद्दार।

सन् 1931 में नृत्य गान करने वाली लड़कियों को राजमहल ना जाने की ना केवल समझाइश दिए बल्कि उनके अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से श्री सियाराम वर्मा, श्री नंदलाल पोतदार, श्री वल्लभदास एवं श्री गोवर्धन राम वर्मा ने उन्हें रियासत से बाहर सुरक्षा के साथ भिजवा दिया। इस कार्य के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर धारा 124 के तहत राजद्रोह का मुकदमा चला। इन पर जारी पेशियों के समय अदालत में कड़ा पहरा लगा दिया जाता था। रियासती जनता ने तंग आकर पं. जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा, नेहरू जी ने मुकदमें के पैरवी के लिए नागपुर के बैरिस्टर अभ्यंकर, बैरिस्टर छेदीलाल और सेठ बाबू गोविंद दास को पत्र लिखा। सात माह बाद श्री सियाराम वर्मा, श्री वल्लभदास वर्मा, श्री नंदलाल पोतदार और श्री गोवर्धन राम वर्मा को जमानत देकर रिहा कर दिया गया। सियाराम वर्मा और गोवर्धन वर्मा को 100–100 रूपये का जूर्माना एवं तीन माह की सजा दी गई। नृत्य गान को समर्पित नव युवतियों की अस्मिता की रक्षा के लिए इन्होने रियासती प्रशासन का जुल्म सहकर अद्वितीय जन जागरण और समर्पण की भावना का परिचय दिया। छुईखदान में रियासती प्रशासन द्वारा किसानों, काश्तकारों से बेगार लिया करती थी, इसके संबंध में जनता का एक प्रतिनिधि मंडल पालिटिकल एजेंट से 24 अक्टूबर 1934 को मिला, परंतु इस समस्या का कोई उचित हल निकल सका और रियासती जनता पर अत्याचार व शोषण जारी रहा। रियासत में दिनों दिन खुशामदी और सरकार परस्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही थे, वे एशो आराम के सामान जुटाने लगे और अलग–अलग उपाय अपनाकर प्रजा से पैसा वसुलने का काम करने लगे। कोंडका गाव में मेला लगाने म्यूनिसपालिटी के सदस्यों से चंदा मांगा गया, परंतु जब उन्होंने चंदा देने से इंकार किया तो सदस्यगणों के कार्यो में लापरवाही बरतने का कारण बताकर म्यूनिसपालिटी कमेटी भंग कर दी गई और एक नयी कमेटी बनायी गई, जिसमें आधे जनता की ओर से तथा प्रेसीडेंट सरकारी सदस्यों में से नियुक्त किये गए। रियासत में निवास करने वाले जनता, दुकानदारों से जबरन मेला टैक्स वसूल किया गया। इसका विरोध सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के माध्यम से किया गया, इसमें अंततः रियासत के सत्याग्रहियों को सफलता प्राप्त हुई।[7]

सन् 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए श्री गोवर्धन राम वर्मा गये थे, वहां पर उन्होंने रियासती जनता पर हो रहे अत्याचार को प्रस्तुत किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रामनारायण मिश्र 'हर्षुल' पं. रामदयाल तिवारी, हनुमान प्रसाद आदि ने उन्हें यह सलाह दी कि संगठन बना कर रियासती अत्याचार के विरूद्ध आंदोलन का बिगुल बजायें। हरिपुरा कांग्रेस से वापस आने के बाद श्री गोवर्धन राम वर्मा व रियासत के अन्य कार्यकताओं ने राजा के विरूद्ध गतिविधियां शुरू की। इस रियासत में जनता में राजनीतिक चेतना को बढ़ाने, अत्यधिक करों व शोषण का विरोध करने के लिये राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में रियासत के जागरूक कार्यकर्ताओं ने प्रयत्न प्रारंभ किया। हरिपुरा अधिवेशन में ठाकुर प्यारे लाल सिंह एवं श्री राम नारायण मिश्र 'हर्षुल' से प्रोत्साहन के बाद रियासत में 20 नवंबर 1938 को स्टेट कांग्रेस की स्थापना की गई। इस राजनीतिक संगठन का प्रथम अधिवेशन 26 नवंबर 1938 को नर्मदा खैरा में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता व कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री रामनारायण मिश्र 'हर्षुल' ने किया। इनके नेतृत्व में रियासती जनता राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रमों से पूर्णरूपेण जुड़ गया। छुईखदान स्टेट कांग्रेस ने राजा व उसके अधिकारीयों के सामने निम्न मांगे प्रस्तुत किए –

1. छुईखदान रियासत की जनता को राज्य सिंहासन के अंतर्गत इंग्लैंड की भांति उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रदान करना चाहिए।
2. किसानों की दशा सुधारने के लिए लगान आधा किया जाए।
3. रियासत में नगरपालिका एवं जिला काउंसिल जैसी संस्था होनी चाहिए।
4. रसद, बेगार व भेंट बंद किया जाए।
5. रियासत की ओर से चरी और निस्तारी की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएं।
6. जनता को संगठन निर्माण, भाषण, लेखन तथा संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता दी जायें।
7. किसानों और मालगुजारों को अपनी जमीन व माल पर मालिकाना हक दिया जायें।
8. भ्रष्ट व्यक्तियों को कर्मचारी के रूप में नियुक्ति न दी जाये, इनके नियुक्ति और निकालने के लिए प्रजा की स्वीकृति आवश्यक हो।
9. प्रजा में विद्या मंदिर और वर्धा योजना द्वारा शिक्षा का प्रसार करना चाहिए।
10. प्रजा के प्रतिनिधियों को स्टेट म्युनिसिपल्टियों में वे सब अधिकार रहे जो खालसा में है।[8]

यद्यपि छुईखदान में राष्ट्रीय जनमत की लहर प्रवाहित हो रही थी, कांग्रेस का संगठन हो चुका था। किसान और जनता राजा के शोषण के खिलाफ कांग्रेस के झंडे तले एकत्रित हो चुके थे किंतु स्टेट कांग्रेस के नेतृत्व में रियासती जनता के इन मांगों को राजा व दरबार ने नजरअंदाज किया, ऐसी स्थिति में जनता अपनी मांगो की पूर्ति के लिए आंदोलित हो उठी। इस प्रकार इस छोटी सी रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन ने व्यापक और उग्र रूप धारण कर लिया। पूरे रियासत में आजादी का बिगुल बज उठा, हड़ताले होने लगी। इस रियासती आंदोलन का

मुख्य मांग उत्तरदायी शासन की मांग थी, उग्र होते इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए रियासती प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से 26 नवंबर 1938 को सभा और जुलुस के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

खैरा नर्मदा जंगल सत्याग्रह

रियासती प्रशासन के अत्याचार, शोषण और दमन के विरूध्द स्टेट कांग्रेस ने आंदोलन चलाने का निश्चय किया इसके अलावा जंगलो पर ब्रिटिश हुकुमत का हस्तक्षेप ग्रामीणों को स्वीकार नहीं था जंगल कानून के विरोध में जागरूक लोगो ने खैरा नर्मदा में एकत्रित होकर एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। शासन ने वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था एक ओर जहाँ आरक्षित जंगलो में ग्रामीणों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था, वही दूसरी तरफ उन्हें निस्तारी के लिए जलाऊ लकड़ी का एक टुकड़ा भी लाने की अनुमति नहीं थी, कांग्रेस ने जंगल सत्याग्रह आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का फैसला लिया। इस रियासती आंदोलन का नेतृत्व श्री रामनारायण मिश्र 'हर्षुल' ने किया, जिसमें श्री गोवर्धन राम वर्मा, समारूराम महोबिया, रामगुलाम पोतदार, झाडूराम महोबिया, पूनम चंद साखला, दामोदरलाल दादरिया, राजाराम यादव, हरदेव लोधी, अमृत लाल महोबिया आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सत्याग्रही प्रतिदिन रियासती प्रशासन द्वारा लगायी गयी धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नदी पार जाकर रक्षित वन से लकड़ी व घास काट कर अपनी गिरफ्तारी देते थे। 14 जनवरी 1939 को रियासत के पुलिस दल ने झिलमिली जंगल पहुंच कर 13 जंगल सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया। यह क्रम लगातार 15 दिनों तक चलता रहा, शीघ्र ही इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। एक माह के भीतर 300 लोगो को जेल में बंद कर दिया गया। इन बंदी सत्याग्रहियों से जेल ठसाठस भर गयी। समारू बरई इस सत्याग्रह का प्रमुख नेता था। कांग्रेस के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिये पॉलिटिकल एजेंट ने राजा साहब से फौज मंगा कर आंदोलन को कुचलने की पहल की। जब राजा साहब ने आंदोलन को दबाने से इन्कार किया तो उसे अयोग्य करार देकर राजकाज से अपदस्थ कर रियासत का प्रशासन ब्रिटिश दीवान श्री एस. के. श्रीवास्तव को सौंप दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा नियुक्त नये दीवान ने आंदोलन को समाप्त करने के लिये 200 सिक्ख रेजिमेंट का दस्ता बुला लिया। फौजी सिपाहियों ने लोगो को आतंकित कर आंदोलन का दमन किये। अनेक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारीयां हुई और सजा दी गई। श्री झाडूराम महोबिया को एक माह का कारावास, श्री भोलाराम को सात माह का कारावास, श्री समारू राम महोबिया व श्री गोवर्धन राम वर्मा को लगभग 7 माह का कठोर कारावास दिया गया।नये दीवान साहब ने आंदोलन को विफल करने के लिये स्टेट कांग्रेस में फूट डालने की नाकाम कोशिश की। उसने ब्रिटिश मधुर नीति का प्रयोग कर सेठ पूनमचंद सहित स्टेट कांग्रेस के 14 प्रमुख कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। कुछ समय बाद श्री रामनारायण मिश्र 'हर्षुल' जी के निर्देश पर उन्होंने पुनः अपनी गिरफ्तारी दे दी।

लगान बंदी आंदोलन

13 फरवरी 1939 को नर्मदा खैरा में श्री रामनारायण मिश्र 'हर्षुल' के नेतृत्व में किसानों की आमसभा हुई, जिसमें नये सभापति महोदय ने दीवान की दुरंगी नीति की कटु आलोचना

की। इस सभा में दीवान साहब के नीतियों के खिलाफ लगान बंदी आंदोलन शुरू करने की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर घोषणा की गई। लगान बंदी घोषणा करने वाला यह आंदोलन 'बारदोली' के बाद दूसरा स्थान रखता है।[9] सर्वप्रथम समारूराम ने जय जयकार के साथ झंडा गीत गायन करते हुए 10 स्वयंसेवकों के साथ छुईखदान की सीमा में घुसने का प्रयास किया। समारू राम व अन्य 10 स्वयंसेवकों को रियासत की सीमा में गिरफ्तार कर लिया गया।[10] कुछ समय बाद समारू राम को छोड़कर गिरफ्तार शेष स्वयंसेवकों को रिहा कर दिया गया। रियासती लगान बंदी आंदोलन से रियासत प्रशासन तंग आ गया, जो सत्याग्रही गिरफ्तार किये जाते थे, उन्हें रियासत में प्रवेश करने के पहले ही रिहा कर दिया जाता था। इस बीच कुछ देशद्रोहियों ने आंदोलन को समाप्त करने की कोशिशें की, पर वे अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। लगातार आंदोलन के बाद भी जब कोई निर्णय नही हो पा रहा, तब रियासती जनता ने आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की। इसी सिलसिले में छुईखदान रियासत के स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामनारायण मिश्र 'हर्षुल' महात्मा गांधी जी से मिलने दिल्ली गये। 5 अप्रैल 1939 को उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। उन्हे रियासती आंदोलन की स्थिति से गांधी जी से मुलाकात की, उन्हें रियासती आंदोलन की स्थिति से अवगत कराया। इस समय गांधी जी अस्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने दिलचस्पी से सारी व्यथा सुनी। दोनों के बीच इस विषय पर 25 मिनट तक बातचीत हुई। हर्षुल जी ने गांधी जी से कहा कि छुईखदान की जनता आंदोलन चलाने के पक्ष में है, क्योंकि वहां के राजा को आंदोलन के कारण ही अपदस्थ किया गया है। इस समय आंदोलन रोकना जन आंदोलन की कमजोरी मानी जाएगी। इस पर गांधी जी ने कहा "इस समय आंदोलन स्थगित कर देना उचित है।" इस प्रकार गांधी जी के सलाह के अनुसार छुईखदान रियासत का सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। आंदोलनकारी राजबंदी जेल से मुक्त कर दिए गए। छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत का यह आंदोलन एक अहिंसात्मक सत्याग्रह था। इसकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली सत्याग्रह से की जा सकती है। इस समय मध्यप्रांत में कांग्रेस मंत्रीमंडल सत्तारूढ़ था, इसके अनेक नेतागण यहां सत्याग्रह के पक्षधर थे, परंतु गांधी जी के सलाह को ही अंतिम रूप से माना गया।[11]

जनवरी सन् 1940 में राजधानी मुख्यालय में स्टेट कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया परंतु रियासती प्रशासन ने अधिवेशन पर प्रतिबंध लगा दिया साथ ही संपूर्ण रियासत में धारा 144 लगा दी गई। इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए श्री गोवर्धन राम वर्मा, श्री रतनचंद जैन ने पूरा प्रयास किया पर सफल ना हो सके। बाहर से आने वाले नेताओं के रियासत प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के प्रयासों से 26 एवं 27 जून 1940 को यह आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में ठाकुर प्यारे लाल सिंह, राम नारायण मिश्र 'हर्षुल' एवं क्रांतिकुमार भारतीय ने भाग लिया। रियासती प्रशासन के दमन, बार बार व्यवधान व सभा स्थगित किये जाने के बावजूद रियासती जनता ने बड़ी संख्या में भाग लेकर राजनीतिक जागरुकता का परिचय दिया। इसी समयावधि में छुईखदान म्यूनिसिपल चुनाव हुआ, स्टेट कांग्रेस ने प्रायः सभी वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े किये थे। इस चुनाव में एक वार्ड को छोड़कर अन्य सभी वार्डो में स्टेट कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, यह रियासती जनता की राजनीतिक जागरुकता का परिणाम था।

सन् 1940 में छुईखदान रियासत के श्री सियाराम वर्मा को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी, वे यहां से रायपुर गये थे, लेकिन सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। इस प्रदर्शन या सभा से राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलता था। सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव छुईखदान रियासत की जनता पर भी पड़ा। आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व बैठक में भाग लेने इस रियासत से श्री गोवर्धन राम वर्मा बंबई गये थे, वे 11 अगस्त को गांधीजी का संदेश लेकर छुईखदान पहुंचे। इस आंदोलन के दौरान गोवर्धन वर्मा तथा उनके भाई सियाराम वर्मा को 30 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया।इस आंदोलन के समय यहां अपूर्व उत्साह व जोश था, निरंकुश शासन के विरोध आंदोलन व्यापक रूप से किया गया। मुख्यालय में एक जुलूस निकाला गया, स्थान स्थान पर सभाओ का प्रदर्शन किया गया, अनेक आंदोलनकारी कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारियाँ हुई, उन पर मुकदमा चलाया गया। सन् 1942 में समारूराम महोबिया, दामोदर दादरिया, बाबूलाल चौबे, अमृतलाल महोबिया और पूनमचंद जैन आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

छुईखदान रियासत में होने वाली आंदोलनों से स्कूली छात्रों में भी स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति जागृति पैदा हो गई थी। 1942 में संपूर्ण देश में झंडा आंदोलन चल रहा था, इसका प्रभाव इस रियासत में भी पड़ा और स्कूल के छात्रों ने यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। इसके लिए छात्रों को बेतो से पीटा गया तथा कुछ छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया, अन्य छात्रों से अर्थदण्ड वसूला गया। जिसमें मेंगनाथ कन्नौजे तथा रतन जैन प्रमुख थे, अन्य विद्यार्थियों में मानिक राम सोनी, लखन लाल सोनी, तथा बाबूलाल दादरिया शामिल थे। अन्य विद्यार्थियों की कोई संस्था नहीं थी किन्तु ये सब वाचनालय, पुस्तकालय के सदस्य होते थे, इन्हीं के द्वारा इनका संगठन होता था, विद्यार्थी भीखूराम बरई इन कार्यों में विशेष उत्साह के साथ कार्य किया। इस समय जो प्रदर्शन या सभा द्वारा बराबर राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलता था, इसके लिए विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल अवधि में हड़ताल के लिए स्वयं सेवक कार्य करते थे।

यहां स्टेट कांग्रेस के अलावा एक स्वयं सेवक विभाग रखा गया था जिसके द्वारा संगठन मजबुत होता था। यहां महिलाओ हेतु कोई दल या संस्था नहीं थी फिर भी महिलाएँ स्टेट कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाये जाते थे और कोई भी सेवा कार्य सामने आता तो वे करती थी। एक तरफ जहां छुईखदान में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए अपनी जन्मभूमि में संघर्ष कर रहे थे, वहीं दुसरे तरफ छुईखदान के दो सपूत दामोदर प्रसाद त्रिपाठी और पद्माकर प्रसाद त्रिपाठी अपने मातृभूमि से दूर रायपुर में अंग्रेजो के खिलाफ बगावत का नारा बुलंद कर रहे थे। ये दोनो रायपुर के रामचंद्र संस्कृत पाठशाला में विद्यार्थी थे, यही से वे भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े थे ओर गिरफ्तार कर लिए गए। छुईखदान की जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और रियासती शासन के खिलाफ दो स्तरों पर संघर्ष किये।[12]

9 अगस्त 1946 को छुईखदान स्टेट कांग्रेस ने एक सभा आयोजित की, इस सभा में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकाधिक लोगो ने भाग लिया, सभा की अध्यक्षता गोवर्धन राम वर्मा ने किया था। इस सभा में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना और संविधान निर्मात्री सभा में चुने हुए

प्रतिनिधि भेजे जाने की मांग की गई। सन् 1946 मे रियासत में मिलिट्री एक्ट लागू किया गया जिसके अंतर्गत दो मंत्री रियासत एवं एक मंत्री जनता की ओर से रखने का प्रावधान था। आजादी के तुरंत बाद छुईखदान रियासत के तत्कालीन शासक ऋतुपर्ण किशोरदास जी ने समय की गति को पहचानते हुए अपनी रियासती जनता को संतुष्ट करने के लिये उत्तरदायी सरकार की स्थापना की तथा छुईखदान रियासत को भारत संघ में सम्मिलित किए जाने की सहमति दी।

छत्तीसगढ़ का यह अंचल भारतीय इतिहास के मुख्य धारा के दृष्टिकोण से उपेक्षित रहा है, शिक्षा, संस्कृति और अर्थ विभाजन के दृष्टिकोण से स्थान कमतर आंकी जाती है लेकिन इस क्षेत्र की जनता सामाजिक जागरूकता के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ी रही। निःसंदेह व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास क्षेत्रीय स्तर की घटनाओं का सूक्ष्म विवरण नहीं दे सकता, लेकिन यहां आजादी के लिए उठी संघर्ष का तूफान ने ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकुमत की नींव हिलाकर रख दी थी और ब्रिटिश नींव ढीली होने से सामंती रियासतों की भी नींव ढीली पड़ गई। विद्रोह सहसा फट नहीं पड़ते ना ही क्रांति त्वरित उत्पन्न होकर बिजली की तरह टुट नही पड़ती वास्तव में आदोलन, क्रांति और विद्रोह रोड़ी हुई जनता की दबी आकांक्षाओं का ही उद्‌गार है। यह क्षेत्रीय इतिहास पर अध्ययन व शोध देश के इतिहास को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन सब योगदान के आलोक में निष्कर्ष हमारे सम्मुख प्रस्तुत है कि भारतीय इतिहास मे छत्तीसगढ़ की छुईखदान रियासत की राष्ट्रीय व सामाजिक जागरूकता का अद्वितीय योगदान था।

❐

सन्दर्भ –

1. *शर्मा, सी. एल.(2008), छत्तीसगढ़ की रियासतें, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर , पृ. 212*
2. *गुप्त, प्यारे लाल,(1973) प्राचीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर,पृ.244*
3. *सेंसस रिपोर्ट 1901 भाग 18,पृ. 374*
4. *खोसला, के. आर., (1942), द स्टेट, स्टेटस एंड हु इज हु इन इंडिया एंड बर्मा, इंपीरियल पब्लि., लाहौर, पृ. 86*
5. *सिंह, शैलेन्द्र,(2020), छुईखदान रियासत का इतिहास प्रारंभ से 1953, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ.112,113*
6. *सिंह, शैलेन्द्र,(2020), छुईखदान रियासत का इतिहास प्रारंभ से 1953, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ. 114*
7. *शुक्ला, सुरेशचंद्र,(2020), छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलीनीकरण मातुश्री पब्लिकेशन, रायपुर , पृ.136*
8. *दुर्ग डिस्ट्रिक्ट मिसलेनिया सेमी आफीसियल करेसपांडेंस फाईल, 1939*
9. *कांग्रेस पत्रिका रायपुर, 23 फरवरी 1939*
10. *फाइल संख्या 53, हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट इन छुईखदान स्टेट पृ. 341*
11. *विश्वमित्र दैनिक समाचार पत्र, दिल्ली 08 अप्रैल 1939*
12. *सिंह, वीरेन्द्र बहादुर (2020),छुईखदान परत दर परत, जय जगन्नाथ सेवा समिति, छुईखदान (छ.ग.), पृ.48,49*
13. *बेहार, रामकुमार, (2008), छत्तीसगढ़ का इतिहास,छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर*
14. *एन्युएल रिपोर्ट फार दी एडमिनिस्ट्रेशन आफ छुईखदान स्टेट*